लखन महतो एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

24 फरवरी, 1966

[के. सुब्बा राव एवं वी. रामास्वामी, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5), धारा 423 – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील, दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं – अपीलीय न्यायालय की शक्ति।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), धारा 149 – क्या यह एक मूल अपराध है।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं में से एक, एल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उसे और अन्य अपीलकर्ताओं को धारा 149 और धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया। राज्य सरकार ने धारा 302 के तहत एल की दोषमुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की। लेकिन एल द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 302/149 से बदलकर धारा 326 के तहत एक लघु अपराध में परिवर्तित कर दिया और उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इस न्यायालय में अपील पर:

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत एल की दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बदलने और उसे धारा 326 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप में दोषी ठहराने और उस आरोप पर कारावास की सजा सुनाने में क्षेत्राधिकार के बिना कार्य किया।

यदि दोषसिद्धि के आदेश को दोषी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है, लेकिन दोषमुक्ति के आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल दोषसिद्धि के आदेश पर विचार किया जाता है, दोषमुक्ति के आदेश पर नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 423(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता था और वह परिणाम केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। [647 घ-च]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम थाडी नारायण, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 240, लागू।

उच्च न्यायालय ने यह विचार करने में गलती की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एक स्वतंत्र अपराध गठित नहीं करती है और यह केवल प्रतिनिधिक दायित्व थोपने के लिए एक सक्षम धारा है, और इसलिए प्रतिनिधिक दायित्व पर दोषसिद्धि को अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष दायित्व की दोषसिद्धि में बदला जा सकता है, भले ही विचारण न्यायालय द्वारा अपराध के प्रत्यक्ष दायित्व से दोषमुक्त कर दिया गया हो। धारा 302 के तहत आरोप और धारा 302/149 के तहत रचनात्मक दायित्व के आरोप के बीच एक कानूनी अंतर है, अर्थात एक गैर-कानूनी सभा का सदस्य होना, जिसका सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना था। [647 छ, ज]

बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, आई.एल.आर. 52 कलकत्ता 197; *क्वीन बनाम सबिद अली एवं अन्य*[1873] 20 डबल्यू.आर.(क्रि.) 5; *नानक चंद बनाम पंजाब राज्य,* [1955] 1 एस.सी.आर. 1201 और *सूरज पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*[1955] 1 एस.सी.आर. 1332 ; संदर्भित।

अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार : 1963 की दांडिक अपील संख्या 214।

पटना उच्च न्यायालय के दांडिक अपील संख्या 368/1961 में दिनांक 18 सितंबर, 1963 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील।

नूर-उद-दीन अहमद और *डी. गोवर्धन*; अपीलकर्ताओं के लिए।

उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुआ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

रामास्वामी, न्यायमूर्ति। यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के

सितंबर, 1963 के निर्णय के विरुद्ध लाई गई है, जो 1961 की दांडिक अपील संख्या 368 से संबंधित है।

अपीलकर्ता पर 13 अन्य लोगों के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जिन्होंने 22 अप्रैल, 1961 के अपने निर्णय द्वारा सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लखन और इंदो को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा दी गई, और गोपी को धारा 147 के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। इंदो को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत और गोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/109 के तहत भी दोषी ठहराया गया और आठ साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। अपीलकर्ता लखन को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/149 के तहत दोषी ठहराया गया था लेकिन इस आरोप पर कोई अलग सजा नहीं दी गई। लखन और इंदो को आयुध अधिनियम की धारा 19(च) के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। पाँच अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया और उनमें से 8 को धारा 302/149, 326/149, 148 और 147 के तहत दोषी ठहराया गया।

अपीलकर्ताओं के साथ 8 अन्य लोग जिन्हें इस प्रकार दोषी ठहराया गया था, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने 8 व्यक्तियों की अपील को स्वीकार कर लिया, लेकिन निम्नलिखित संशोधनों के साथ अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया: भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, धारा 148, धारा 147 और भारतीय दंड संहिता की धारा 326/149 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को उन आरोपों से बरी कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत लखन की दोषसिद्धि को धारा 326, भारतीय दंड संहिता के तहत एक कम गंभीर अपराध में बदल दिया गया, लेकिन उस पर लगाई गई आजीवन कारावास की

सजा को बरकरार रखा गया। धारा 326, भारतीय दंड संहिता के तहत इंदो की और धारा 326/109, भारतीय दंड संहिता के तहत गोपी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया। आयुध अधिनियम की धारा 19(च) के तहत लखन और इंदा की दोषसिद्धि और सजा को भी बरकरार रखा गया।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 7 अक्टूबर, 1959 को सुबह करीब 10 बजे मृतक शिवसहाय महतो बेलवा खंधा में अपने धान के खेत की देखरेख करने गया था। वहां पहुँचने पर उसने अपीलकर्ता लखन और एक ईश्वर को अपने खेत की एक मेड़ काटने के बाद मछली पकड़ने के लिए जाल लगाते हुए पाया। शिवसहाय ने विरोध किया और पक्षों के बीच बहस हुई। शिवसहाय ने जाल को एक तरफ फेंक दिया और ईश्वर तथा अपीलकर्ता लखन गाँव की ओर चले गए। इसके बाद शिवसहाय ने खेत की मेड़ की मरम्मत की और कुछ घास निराई करने के बाद वह बज़ेराचक रोड से गाँव लौट रहा था। जब वह एक ईंट-भट्ठे के पास से गुजर रहा था, तभी अपीलकर्ता लखन अचानक हाथ में पिस्तौल लिए पीछे से निकला और शिवसहाय पर गोली चला दी, जो उसके सीने में लगी। शिवसहाय कुछ कदम लड़खड़ाया और बैजू नामक व्यक्ति के घर के पास गिर गया। लखन के साथ 15 या 20 अन्य व्यक्ति भी विभिन्न हथियारों से लैस थे। जीतू ;अभियोजन साक्षी 7 की पत्नी श्रीमती अखजी; अभियोजन साक्षी 3 ने गोली चलने की आवाज सुनी जब वह बैजू के घर के पास स्थित अपने घर में थी। वह अपने घर से बाहर आई और शिवसहाय को गाँव की गली में गिरा हुआ देखा। उसने गोपी का विरोध किया, जो आगबबूला हो गया और उसे पीटने का आदेश दिया। उसके आदेश पर, बंदूक लिए हुए राजेंद्र ने अखजी;अभियोजन साक्षी 3 के बाएं हाथ पर गोली चला दी। हमला करने के बाद भीड़ के सभी सदस्य भाग गए। उसी शाम करीब 5 बजे, शिवसहाय के बयान पर सहायक पुलिस उप-निरीक्षक;अभियोजन साक्षी 14 द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) तैयार की गई और दोनों घायलों को नवादा अस्पताल भेजा गया जहाँ अगली सुबह शिवसहाय की मृत्यु हो गई।

अपीलकर्ताओं ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया और आरोप लगाया कि उन्हें पिछली दुश्मनी के कारण झूठा फँसाया गया था। विचारण न्यायालय ने माना कि मृतक शिवसहाय की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के विशिष्ट आरोप के तहत अपीलकर्ता लखन को दोषी ठहराना असुरक्षित था, क्योंकि मृतक के मृत्युपूर्व कथन (प्रदर्श 8) से यह प्रतीत होता था कि अभियुक्त ईश्वर ने भी उस पर गोली चलाई थी और इस प्रकार अपीलकर्ता लखन संदेह के लाभ का हकदार था। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने लखन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उसे और 2 अन्य अपीलकर्ताओं को धारा 148 और धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया। राज्य सरकार ने धारा 302 के आरोप में लखन की दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं की, लेकिन सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने लखन की दोषसिद्धि को धारा 302/149 से बदलकर धारा 326 के तहत एक लघु अपराध में परिवर्तित कर दिया और उस पर दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय का यह विचार था कि अभियुक्त साक्षीयों 1, 6, 7 और 8 के साक्ष्य को सत्य स्वीकार किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि वह लखन ही था जिसने मृतक पर पिस्तौल चलाई थी और केवल लखन ने ही पिस्तौल से गोली चलाई थी, न कि ईश्वर ने। उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में वह लखन की दोषसिद्धि को धारा 302/149 के रचनात्मक अपराध से बदलकर धारा 302 के मूल अपराध में करने के लिए सक्षम था, लेकिन "किसी भी तकनीकी आपत्ति से बचने के लिए" उच्च न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत दोषसिद्धि को धारा 326 के तहत एक लघु अपराध में बदल दिया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को बरकरार रखा।

अपीलकर्ता लखन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा मृतक शिवसहाय पर गोली चलाने के प्रत्यक्ष कार्य के लिए धारा 302 के विशिष्ट आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा

302/149 के तहत एक गैर-कानूनी सभा का सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसका सामान्य उद्देश्य शिवसहाय की हत्या करना था। यह रेखांकित किया गया कि राज्य सरकार ने धारा 302 के तहत लखन की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की थी। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय, इस संबंध में दायर अपील की अनुपस्थिति में, लखन को गोली चलाने के प्रत्यक्ष कार्य के लिए पुनः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी नहीं ठहरा सकता। अपीलकर्ता के लिए यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि कोई गैर-कानूनी सभा नहीं थी और फलस्वरूप लखन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। इसलिए, अपीलकर्ता लखन की ओर से प्रस्तुत तर्क यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत एक स्वतंत्र अपराध के लिए लखन की दोषसिद्धि और सजा अवैध थी और उसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

अपील के निपटारे में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 द्वारा निर्धारित हैं, जो कहती है:

"423.(1) अपीलीय न्यायालय तब मामले का अभिलेख मँगाएगा, यदि ऐसा अभिलेख पहले से ही न्यायालय में नहीं है। ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, और अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता को, यदि वह उपस्थित हो, और लोक अभियोजक को, यदि वह उपस्थित हो, और धारा 411-क की उप-धारा (2) या धारा 417 के तहत अपील के मामले में, अभियुक्त को, यदि वह उपस्थित हो, सुनने के बाद, यदि न्यायालय यह मानता है कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, या वह—

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में, ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि आगे की जाँच की जाए, या अभियुक्त पर पुनः मुकदमा चलाया जाए... या उसे दोषी पा सकता है और कानून के अनुसार सजा सुना सकता है;

(ख) दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में, (1) निष्कर्ष और सजा को उलट सकता है, और

अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पुनः विचारण का आदेश दे सकता है या विचारण के लिए सुपुर्द कर सकता है, या (2) सजा को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष को बदल सकता है, या निष्कर्ष को बदले बिना या बदलते हुए सजा को कम कर सकता है, या (3) ऐसी कमी के साथ या उसके बिना और निष्कर्ष को बदले बिना या बदलते हुए, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन धारा 106 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सजा को बढ़ा नहीं सकता।"

धारा 423(1)(क) स्पष्ट रूप से दोषमुक्ति के आदेश से संबंधित अपील से निपटती है और यह अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश को उलटने और निर्देश देने का अधिकार देती है। धारा 423(1)(ख) स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील से संबंधित है। इस न्यायालय द्वारा *आंध्र प्रदेश राज्य बनाम थाडी नारायण*[1] में यह माना गया है कि धारा 423(1)(ख) स्पष्ट रूप से केवल दोषसिद्धि और सजा के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों के मामलों तक सीमित है, और इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किसी अन्य अपराध के आरोप में दी गई दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह भी बताया गया कि जहाँ एक अभियुक्त पर कई अपराधों के आरोप लगाए जाते हैं, वहाँ मुकदमा निस्संदेह एक ही होता है; लेकिन जहाँ अभियुक्त को कुछ अपराधों से दोषमुक्त कर दिया जाता है और दूसरों के लिए दोषी ठहराया जाता है, वहाँ अपीलीय कार्यवाही का स्वरूप और उनका दायरा अनिवार्य रूप से अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर अपील की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। यदि दोषसिद्धि के आदेश को दोषी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है लेकिन दोषमुक्ति के आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल दोषसिद्धि के आदेश पर विचार किया जाना होता है, न कि दोषमुक्ति के आदेश पर। धारा 423(1)(ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को

---

1 ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 240.

दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता और वह परिणाम केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारी राय में, इस निर्णय का सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होता है और तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने लखन की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप में दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बदलने और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के आरोप में दोषी ठहराने तथा उस आरोप पर कारावास की सजा देने में अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य किया।

इस संबंध में उच्च न्यायालय ने यह विचार अपनाया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एक मूल अपराध गठित नहीं करती है और यह केवल प्रतिनिधिक दायित्व अधिरोपित करने वाली एक सक्षमकारी धारा थी; इसलिए प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर दोषसिद्धि को अपीलीय अदालत द्वारा प्रत्यक्ष दायित्व के लिए दोषसिद्धि में बदला जा सकता है, भले ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस अपराध के प्रत्यक्ष दायित्व से दोषमुक्त कर दिया गया हो। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया विचार सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत रचनात्मक दायित्व के आरोप के बीच एक कानूनी अंतर है, यानी एक विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना, जिसका सामान्य उद्देश्य मृतक शिवसहाय की हत्या करना था। *बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर* [2] में लॉर्ड समनर ने इस तर्क पर विचार किया था कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का वही अर्थ निकाला जाए जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपनाया था, तो उसी संहिता की धारा 114 और 149 निरर्थक हो जाएँगी। हालाँकि, लॉर्ड समनर की राय में, धारा 149 निश्चित रूप से निरर्थक नहीं थी, क्योंकि किसी भी मामले में इसने एक विशिष्ट और अलग अपराध सृजित किया था। यह पाँच या अधिक व्यक्तियों के एक ऐसे जनसमूह की परिकल्पना करती थी जिसका एक सामान्य उद्देश्य हो, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में वर्णित है, और फिर उस उद्देश्य के अनुसरण में उसके किसी एक

2 आई.एल.आर. 52 कलकत्ता 197.

सदस्य द्वारा अपराध किया जाना। लॉर्ड समनर ने इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के *क्वीन बनाम साबिद अली और अन्य*[1] के निर्णय का उल्लेख किया। लॉर्ड समनर के इस अवलोकन को इस न्यायालय द्वारा *नानक चंद बनाम पंजाब राज्य*[2] में सहमति के साथ उद्धृत किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप तय करना, अपीलकर्ता पर हत्या के अपराध का आरोप लगाना नहीं था; और उसे हत्या के लिए दोषी ठहराना और धारा 302 के तहत दंडित करना उसे एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराना था जिसके लिए उस पर आरोप ही नहीं लगाया गया था। तदनुसार यह माना गया कि धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अवैध थी। इसी विचार को इस न्यायालय ने बाद के एक मामले *सूरज पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[3]में भी दोहराया है।

इन कारणों से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लखन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा अवैध है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष उन अन्य आरोपों को स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, लेकिन विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अन्य आरोपों पर दोषसिद्धि किसी अवैधता से दूषित है, और हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत आरोप पर लखन को दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं; अन्यथा हम लखन के संबंध में और अन्य दो अपीलकर्ताओं के संबंध में भी उच्च न्यायालय के निर्णय

1 [1873] 20 डब्ल्यू.आर.(आपराधिक) 5.

2 [1955] 1 एस.सी.आर. 1201.

3 [1955] 1 एस.सी.आर. 1332

की पुष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

दोषसिद्धि और सजा संशोधित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।